संख्या-452/2015/1193/69-1-2015-32(बजट)/2013

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3337/76/एक/एबीएमडीबीवाई/2013-14, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत नगर निगम लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से जनपद-फर्रूखाबाद की न0पा0प0, फर्रूखाबाद की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 34 परियोजनाओं के लिए शासनादेश संख्या-643/26-ब0प्र0-2013-32(बजट)/2013, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 एवं सपठित शुद्धि-पत्र संख्या-431/2015/1193/69-1-2015-32(बजट)/2013 दिनांक 19 मई, 2015 द्वारा रू0 438.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 219.075 लाख की प्रथम किश्त स्वीकृति की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से कुल 30 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 191.595 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यानबे लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकीस्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की

http://shasanadesh.up.nic.in

विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

-3/

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-325/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-452/2015/193/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फर्रूखाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-456/2015/193/69-1-2015-32(बजट)/2013 दिनांक 28 मई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	फर्रुखाबाद	न0पा0प0, फर्रुखाबाद	मो0 नरायनपुर में सातनपुर मण्डी के पास रामवीर के मकान से लकुशराम के मकान तक एवं नरेश यादव वाली गली व लकुश राम के घर से डा0 हेतराम तक तथा सुभाष के मकान से खिन्नी नगला लिंक रोड तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	9.93	4.965
2	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर के कनपटियापुर में अशोक के मकान से अनिल के मकान तक एवं लिंक गली एवं जगदीश के मकान से रतन स्कूल होते हुए क्रास रोड तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	15.35	7.675
3	तदैव	तदैव	मो0 दुइयों में जौहरी के मकान से सरनाम जाटव के मकान तक एवं नाले से लालाराम जाटव, कमता के मकान से सरनाम जाटव के घर तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	5.10	2.55
4	तदैव	तदैव	मो0 नौलक्खा में रतीराम से मुजीब के घर तक एवं मो0 दुइयों में मर सिंह के घर से राम सिंह के घर तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	4.01	2.005
5	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में डा0 जितेन्द्र यादव के निर्माणाधीन अस्पताल से चपटा बाबा मजार के आगे तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	20.58	10.29
6	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में जनार्दन गुप्ता के मकान से मोतीलाल के मकान तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	22.10	11.05
7	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में बाबूराम यादव के मकान से वन विभाग आफिस तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	19.48	9.74
8	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में सक्सेना वकील साहब कि मकान से बब्लू ठाकुर के मकान तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	14.64	7.32
9	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार के कैंप कार्यालय से राहुल गंगवाल के प्लाट तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	13.51	6.755
10	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में विजय मिश्र वाली गली में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	7.31	3.655
11	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर गुजन बिहार कालोनी में लालू कटियार से राजू श्रीवास्तव के मकान होते हुए नेकपुर चौरासी लिंक रोड तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	10.52	5.26
12	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर सेन्ट्रल जेल चौकी के पीछे मुख्य सड़क पर अमर सिंह के मकान तक प्राइमरी स्कूल तक रामपाल एवं रमेश जनता स्कूल के पीछे वाली गली में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	6.94	3.47
13	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर सेन्ट्रल जेल चौकी के पीछे रामदास जाटव के मकान से वेवर रोड मुख्य सड़क तक नाली एवं पेवर	3.90	1.95

http://shasanadesh.up.nic.in

			ब्रिक निर्माण।		
14	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर के हसनबाग मे सदानन्द की चक्की से मण्डी रोड मुख्य सडक तक नाली एव पवर ब्रिक निर्माण।	14.74	[illegible]
15	तदैव	तदैव	मो0 नरायनपुर मे सातनपुर मण्डी के पास बाबूराम कठेरिया के मकान से पातीराम के मकान तक एव सुरेश शाक्य के मकान से रमेश दिवाकर मकान तक व पातीराम के मकान से राम औतार के मकान तक तथा हरपाल की दुकान वाली गली में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	4.19	2.095
16	तदैव	तदैव	मो0 श्याम नगर मे मण्डी रोड से सर्वेश कटियार के घर तक, अजय कटियार के मकान से शरद कटियार एवं देशराज वाली गली मे नाली एव पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	31.76	15.88
17	तदैव	तदैव	मो0 नवदिया में वाल्मीकि बस्ती मे राजू के मकान से वाल्मीकि मन्दिर के आगे पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	18.42	9.21
18	तदैव	तदैव	मो0 ढुइयों में बादाम सिंह के घर से चक्की तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	5.29	2.645
19	तदैव	तदैव	मो0 रकाबगंज खुर्द में अमर सिंह के घर से मुन्नी लाल के मकान तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण।	5.04	2.52
20	तदैव	तदैव	मो0 पलरिया मे मनोज के मकान से सुधीर एवं अन्य गलियो में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	2.96	1.48
21	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में कृष्ण कुमार चौहान के घर से राम सेवक भारती के मकान होते हुए वीरेन्द्र सिंह के मकान से आलम के मकान तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	13.41	6.705
22	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में बाबूराम के मकान से आशादेवी के मान तक एवं सूजू के मकान से पंकज तक एवं नरायनदास सिंधी के मकान तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	11.42	5.71
23	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में गणेश सिंह के मकान से भूपेन्द्र सिंह के मकान एवं आर0पी0सिंह वाली गली, सियाराम जाटव वाली गली में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	25.29	12.645
24	तदैव	तदैव	मो0 नवदिया में राजकुमार के घर से कल्लू वाल्मीक के मकान तक सप्पू के मकान से नन्हें के मकान तक एवं मन्दिर से नरेश वाल्मीक के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	5.18	2.59
25	तदैव	तदैव	मो0 नवदिया में राकेश बाबू के मकान से विजय पाल के मकान होते हुए पुलिया तक एवं सत्यवती के मकान से विजय के मकान तक नाली एवं पेबर ब्रिक निर्माण कार्य।	6.81	3.405
26	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में विश्राम सिंह, कठेरिया से मुख्य सम्पर्क मार्ग तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	9.38	4.69
27	तदैव	तदैव	मो0 लोहिया नगर में राकेश कटियार से लोहिया अस्पताल मुख्य मार्ग तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	20.73	10.365
28	तदैव	तदैव	मो0 लाल दरवाजा के डिग्गीताल में विनय अवस्थी से रमाकान्त के मकान तक एवं गलियों में नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	21.33	10.665

29	तदैव	तदैव	मो0 बिरौबाग शान्ती नगर में पाठक जी के मकान से बढ़पुर मन्दिर तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	11.41	5.705
30	तदैव	तदैव	मो0 बिरौबाग शान्ती नगर में अरुण बाजपेई के मकान से बढ़पुर मन्दिर तक नाली एवं पेवर ब्रिक निर्माण कार्य।	22.46	11.23
योग				383.19	191.595

(रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in